केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 18.02.2017

सीबीआई ने 50,000 रू. की घूस स्वीकार करने पर तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, पंजाब सरकार के संयुकत निदेशक को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने शिकायतकर्ता से 50,000 रू. की घूस की मॉंग व स्वीकार करने पर तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण, पंजाब सरकार, चण्डीगढ़ के संयुकत निदेशक को गिरफ्तार किया।

एक शिकायत के आधार पर तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के विभाग पंजाब सरकार, चण्डीगढ़ में कार्यरत संयुक्त निदेशक के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दो कर्मी ने उनके संस्थान (आई.टी.आई.) पहुँचे एवं उन्हें सूचित किया कि एक शिकायत के आधार पर उनके संस्थान का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित हुए है जिसमें आरोप है कि उनका संस्थान बिना उचित प्रयोगशाला औजारों के चल रही थी, आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों से शुल्क लिया जा रहा था तथा ऐसे विद्यार्थियों जो कि कक्षा में उपस्थित नही होते थे और उनके संस्थान में विद्यार्थियों की उपस्थिति केवल 10% थी, को प्रवेश दिया जा रहा था। उक्त विभाग के द्वारा, संस्था की संबद्वता खत्म करने का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। शिकायतकर्ता उक्त कार्यालय में गया एवं संयुक्त निदेशक से मिला। शिकायतकर्ता से बातचीत के पश्चात, संयुक्त निदेशक ने कथित तौर पर उन्हें बताया कि वह उनके संस्थान की मान्यता खत्म कर देगा और 50,000 रू. की घूस की मॉंग की। सीबीआई ने जाल विछाया एवं संयुक्त निदेशक की शिकायतकर्ता से 50,000 रू. की घूस मॉंगने व स्वीकार करने के दौरान रंगे हाथ पकड़ा। आरोपी के कार्यालय एवं आवास पर तलाशी ली गई।

गिरफ्तार आरोपी को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, चण्डीगढ़ में आज पेश किया जा रहा है।

****